



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2012/भाद्र 21, 1934

No. 449]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2012/BHADRA 21, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 680(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 433 से 434 मेगाहर्टज आवृत्ति रेंज में इनडोर अनुप्रयोगों के लिए निम्न शक्ति युक्तियों या उपस्करों का (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) उपयोग नियम, 2012 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में हैं।

3. 433 से 434 मेगाहर्टज आवृत्ति रेंज में इनडोर अनुप्रयोगों के लिए निम्न शक्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग - किसी व्यक्ति को 433 से 434 मेगाहर्टज आवृत्ति रेंज में इनडोर अनुप्रयोगों के लिए निम्न शक्ति युक्तियों या उपस्करों के उपयोग के लिए उन्हें स्थापित करने, अनुसूचना करने, कार्य करने, रखने या व्यौहार करने में जिसमें बिनाहस्तक्षेप, बिनासंरक्षण या सम्मिलित आधार पर (अनन्य रूप से नहीं) नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अंतर्निर्मित ऐन्टेना और तकनीकी पैरामीटरों के साथ किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

**सारणी**  
**तकनीकी लक्षण**

आवृत्ति बैंड	अधिकतम प्रभावी विकीर्ण शक्ति (ईआरपी) और उत्सर्जन, तरंगदैर्घ्य	एन्टेना
(1)	(2)	(3)
433 से 434 मेगाहर्टज	10 किलोहर्टज के भीतर चैनल तरंगदैर्घ्य के साथ 10 मिलीवाट	केवल अंतर्निर्मित

परंतु इस आवृत्ति बैंड में किसी भी प्रकार से विद्यमान अनुज्ञप्ति अधिकार या प्रक्रियों और योजनाबद्ध बेतार प्रचालनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**4. व्यतिकरण** - अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहां भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अधीन और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अनुज्ञप्तिधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे।

परंतु यह कि ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के अनुज्ञप्तिधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

**5. उपस्कर** - (1) निम्न शक्ति युक्तियां या उपस्कर अनुमोदित उपस्कर प्रकार और डिजाइन के होंगे तथा उनका संनिर्माण ऐसी रीति में किया जाएगा ताकि तकनीकी मैरामीटर नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों।

(2) उपस्करों के प्रकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबंध में दिए गए आवेदन प्ररूप में किया जाएगा।

[सं. आर-11020/10/2010-पीपी]

एल. एफ. हुमणे, सहायक बेतार सलाहकार

उपाबंध

**उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन**

**भाग - क - आवेदक**

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- विनिर्माता का डाक पता
- प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)

भाग - ख - पारेषक का वर्णन

1. आवृत्ति रेंज
2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.
3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं.  
(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
4. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
6. आवृत्ति स्थायित्व
7. कूट/सन्नादी विकरण
  - i. कैरियर सप्रेसन  
(कैरियर सप्रेसड तंत्र की दशा में)
  - ii. आवांछित साइड बैंड सप्रेसन  
(एसएसबी तंत्र की दशा में)
  - iii. द्वितीय सन्नादी विकरण
  - iv. तृतीय सन्नादी विकरण
8. अधिकतम आवृत्ति विचलन
9. उत्सर्जन की रीति
10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ
11. परीक्षण टोन विचलन
12. आधार बैंड आवृत्ति  
(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
13. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का प्रकार
14. पूर्व जोर
15. विद्युत आउटपुट  
(एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अन्य जानकारी

भाग - ग- प्रापकों के विवरण

1. आवृत्ति रेंज
2. प्राप्ति की रीति
3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया
4. संवेदनशीलता
5. आवृत्ति स्थायित्व
6. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान  
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर

7. मध्यवर्ती आवृत्ति
8. जोर मुक्ति
9. चयनशीलता
10. कोई अन्य विशिष्टियां

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(टिप्पण : प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2012

**G.S.R. 680(E).**— In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement .-** ( 1 ) These rules may be called the Use of low power devices or equipments for indoor applications in the 433 to 434 MHz frequency range (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -** In these rules, unless the context otherwise requires, words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meanings respectively assigned to them in those the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933).

3. **Use of low power devices or equipments ,for indoor applications in the 433 to 434 MHz frequency range .-** No person shall require license to establish,

maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of low power devices, or equipments for indoor applications in the 433 to 434 MHz frequency range, on non-interference, Non-protection and shared (non exclusive) basis, with built-in antenna and Technical parameters as specified in the Table below, namely: -

**TABLE**  
**Technical characteristics**

Frequency Band	Maximum Effective Radiated Power(ERP), and Emission, Bandwidth	Antenna
(1)	(2)	(3)
433 to 434 MHz	10 milliwatts With a channel bandwidth within 10 KHz	Built-in only

Provided that it does not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band.

4. **Interference .-** The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary

3450 GI/12-2

steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by the issuing authority.

5. **Equipment.** - (1) The low power devices or equipments shall be of Equipment Type Approved designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.

(2) The application for obtaining the Equipment Type Approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure.

[No. R-11020/10/2010-PP]

L. F. HUMNEY, Assistant Wireless Adviser

**Annexure**

### APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

#### Section-A-applicant

1. Name of manufacturing agency applying :  
For equipment type approval
2. Postal address of manufacturing agency :
3. Name of product and the product :  
identification ( model number etc..)

#### Section-B-Details of Transmitter

1. Frequency range :

2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice / Data/ TV Channels :  
( In case of multi- channel equipment)
4. Tx-Rx channel separation :  
(In case of Duplex/multi-channel equipment)
5. Adjacent channel separation :  
( In case of multi-channel equipment)
6. Frequency stability :
7. Spurious / Harmonic radiations :
  - i. Carrier suppression ;  
( In case of carrier suppressed systems)
  - ii. Unwanted side band suppression :  
( In case of SSB systems)
  - iii. 2<sup>nd</sup> Harmonic radiations :
  - iv. 3<sup>rd</sup> harmonic radiations :
8. Max. Frequency Deviation :
9. Mode of Emission :
10. Bandwidth of Emission :
11. Test Tone Deviation :
12. Base band frequency :  
( In case of multi channel equipment)
13. Type of modulation to be required :
14. Pre-emphasis :
15. Power out-put :  
( At the input of antenna)
16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :
2. Mode of reception :
3. Spurious response of receiver :
4. Sensitivity :
5. Frequency stability :
6. (a) Effective noise temperature :  
(b) Threshold input level :
7. Intermediate frequency :
8. De-emphasis :
9. Selectivity :
10. Any other particulars :

Signature of applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment)